



Neutral Citation No. - 2026:AHC:56674

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 837/ 2026

किशोर (एस)

.....पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रत्यर्थी

पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता: संदीप कुमार श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, मो. आजम

न्यायालय संख्या - 83

माननीय सुभाष चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण पुनरीक्षणकर्ता द्वारा उसके पिता के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम-2015 (जिसे इसके बाद "जे.जे. एक्ट, 2015" के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 102 के तहत वर्तमान पुनरीक्षण को स्वीकार करने और विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (पॉक्सो अधिनियम) प्रथम, अमरोहा द्वारा आपराधिक अपील संख्या 162/2025 (किशोर (एस) पुत्र भोजराज सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 20.12.2025 के साथ-साथ विद्वान किशोर न्याय बोर्ड, अमरोहा द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 24.11.2025 को निरस्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। आगे थाना नौगावां सादात, जिला जे.पी. नगर (अमरोहा) के मुकदमा अपराध संख्या 301/2025, धारा 105, 115(2) बी.एन.एस. और 3(2)V अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम से उत्पन्न मामले में पुनरीक्षणकर्ता को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि इस वाद में तीन अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में मुखबिर द्वारा यह उल्लेख किया गया था कि घायल/मृतक छत से गिर गया था, लेकिन विवेचना के दौरान वर्तमान पुनरीक्षणकर्ता का नाम अन्य सह-अभियुक्तों नीतू सैनी और श्योवीर सैनी के साथ प्रकाश में आया, जो वयस्क थे और जिनकी जमानत इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक अपील संख्या 11057/2025 में आदेश दिनांक 19.12.2025 द्वारा और आपराधिक अपील

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



संख्या 10856/2025 में आदेश दिनांक 18.12.2025 द्वारा पहले ही मंजूर की जा चुकी है और वर्तमान पुनरीक्षणकर्ता का मामला अलग आधार पर नहीं है।

आगे यह तर्क दिया गया है कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 में निहित प्रावधानों पर किशोर न्याय बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया गया था, यहाँ तक कि परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भी विचार नहीं किया गया था। अपीलीय न्यायालय ने भी इन सभी तथ्यों पर विचार नहीं किया बल्कि अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना और उपरोक्त अधिनियम की धारा 12 में निहित कानून पर विचार किए बिना जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। यह भी तर्क दिया गया है कि अपचारी के अन्य अपराधियों की संगति में शामिल होने की संभावना की आशंका का उल्लेख विद्वान किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित और अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्ट किए गए आदेश में किया गया है, हालांकि परिवीक्षा अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में ऐसी कोई संभावना व्यक्त नहीं की गई है जो अभिलेख पर है। अपचारी 27.10.2025 से किशोर सुधार गृह में है और उसका मनोविज्ञान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है, इसलिए जे.जे. बोर्ड के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने और आपराधिक पुनरीक्षण को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उपरोक्त प्रार्थना का विरोध किया।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के साथ-साथ विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों, अभिलेख के अवलोकन, इस तथ्य कि अन्य सह-अभियुक्त जो वयस्क थे उन्हें इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है और वर्तमान पुनरीक्षणकर्ता का मामला अलग आधार पर नहीं है, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 में निहित प्रावधानों, परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय ने प्रासंगिक प्रावधानों और अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर उचित तरीके से विचार नहीं किया, बल्कि अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना आदेश पारित किया। इस प्रकार, इस पुनरीक्षण में आधार प्रतीत होता है और किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाने योग्य हैं।

तदनुसार, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2025 और अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2025 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है और वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण को एतद्वारा स्वीकार किया जाता है।

यह निर्देशित किया जाता है कि पुनरीक्षणकर्ता (अपचारी के पिता) द्वारा व्यक्तिगत बंध पत्र और समान राशि की दो जमानतें संबंधित किशोर न्याय बोर्ड के संतोष के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रस्तुत करने पर पुनरीक्षणकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए: -

(i) पुनरीक्षणकर्ता/पिता एक वचन पत्र प्रस्तुत करेंगे कि जमानत पर रिहा होने पर पुनरीक्षणकर्ता को किसी ज्ञात अपराधी के संपर्क या संसर्ग में नहीं आने दिया जाएगा या किसी नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में नहीं पड़ने दिया जाएगा और आगे यह कि पिता यह सुनिश्चित करेंगे कि किशोर अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(ii) पुनरीक्षणकर्ता/पिता आगे इस आशय का एक वचन पत्र प्रस्तुत करेंगे कि किशोर उचित स्तर पर अपनी पढ़ाई जारी रखेगा, जिसके लिए उसे अन्य रचनात्मक गतिविधियों के अलावा प्रोत्साहित किया जाएगा और उसे अनुत्पादक तथा अत्यधिक मनोरंजक गतिविधियों में अपना समय बर्बाद नहीं करने दिया जाएगा।

(iii) किशोर और पुनरीक्षणकर्ता/पिता प्रत्येक कैलेंडर माह के पहले सोमवार को परिवीक्षा अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे।

(iv) परिवीक्षा अधिकारी किशोर की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेंगे और नियमित रूप से उसकी सामाजिक जांच रिपोर्ट तैयार करेंगे जो संबंधित किशोर न्याय बोर्ड को ऐसी समय-समय पर प्रस्तुत की जाएगी जैसा कि किशोर न्याय बोर्ड निर्धारित करे।

(सुभाष चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति)

**19 मार्च, 2026**

सूरज श्रीवास्तव

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"